न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

मु.न.–......01..... / 2025

उम्मेद सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपुत निवासी बीघरान तह. तारानगर जिला चूरू हाल निवासी मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– वादी –

वनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 29/01/25

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के पिता के नाम कृषि भूमि रोही मौजा बीघरान के खसरा सं. 354 तादादी 3.7935 हेक्ट. हैं। वादी के पिता रामसिंह का देहान्त दिनांक 10.07.2021 को हो चुका है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता की वल्दियत गलत रूप से अंकित है। वादी के दादा का वास्तविक नाम गुट सिंह था। लेकिन विरास्तन दर्ज करते समय वादी के पिता रामसिंह की वल्दियत गुट सिंह के स्थान पर गटूसिंह दर्ज कर दी गई जमाबंन्दी 2070 तक वल्दियत गटू सिंह रही है लेकिन पटवारी व राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में ऑनलाईन करते समय वादी के दादा का नाम आदुसिंह दर्ज कर दिया लेकिन गटू सिंह के स्थान पर एकदम विपरित नाम है। वादी के दादा का नाम वास्तविक व दस्तावेजी नाम गुट सिंह है जो वादी के पिता रामसिंह के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम राम सिंह पुत्र गुट सिंह है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब वादी जमाबन्दी में अपना पिता रामसिंह की वल्दियत आदुसिंह के स्थान पर गुट सिंह दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा बीघरान के खसरा सं. 354 तादादी 3.7935 हेक्ट. में वादी के पिता का वल्दियत रामसिंह पुत्र गुट सिंह किये जाने का आदेश प्रदान करें।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। तहसीलदार तारानगर को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसील तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकार ने जाहिर किया कि वे जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश करना चाहते। इस प्रकरण को कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वंत 2070 वादी के पिता की वल्दियत गटूसिंह अंकित थी। गटुसिंह व गटूसिंह नाम मिलते जुलते है। जमाबंदी संवत 2070 में स्वं रामसिंह की वल्दियत गटूसिंह के स्थान पर आदुसिंह दर्ज हो गई जो लिपिकीय भूल है। वादी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र से वादी के पिता का दस्तावेजीय नाम राम सिंह पुत्र गुट सिंह पाया जाता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से भी वादी के दावा की पृष्टि होती है।

वर्णित विवेचन से वाद वादी पुष्ट पाया जाता है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा बीघरान के खसरा सं. 354 तादादी 3.7935 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि वादी के पिता रामसिंह पुत्र आदुसिंह Delete कर इसके स्थान पर रामसिंह पुत्र गुट सिंह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/01/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)